राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

बिरधा बनाम कल्याण

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
21/05/2026	पत्रावली प्रस्तुत हुई | अधिवक्ता अपीलार्थी उपस्थित | रेस्पो. बाद तामील अनुपस्थित | अत: अधिवक्ता अपीलार्थी की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी | पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 25/05/2026 को पेश हो | राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	
25/05/2026	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई | संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि रेस्पो. संख्या 1 लगा. 4 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद मय प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी कल्याण की एकपक्षीय बहस प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पर समायत कर आदेश दिनांक 30/10/2024 पारित करते हुये प्रार्थी संख्या 1 व 2/अपीलार्थी को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमा दिया गया | तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पर समायत कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 27/01/2025 पारित करते हुये ताफैसला मूल वाद प्रतिवादीगण को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमा दिया गया | जिससे व्यथित होकर अपीलार्थीगण द्वारा इस न्यायालय के समक्ष यह अपील प्रस्तुत की गयी | जिस पर रेस्पो. बाद तामील अनुपस्थित रहने पर अधिवक्ता अपीलार्थी की एकपक्षीय मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी | अधिवक्ता अपीलार्थी की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया | उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय अपीलाधीन आदेश का अवलोकन किये जाने से यह जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा व्यवहार प्रक्रियां संहिता के आदेश 39 नियम 3 के प्रावधानों की अवेहलना करते हुये प्रथमदृष्टया प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन व अपूर्तनीय क्षति के बिन्दुओ का कोई विवेचन किये बिना ही सरसरी तौर पर अपीलाधीन आदेश पारित की गयी है, जो विधिसम्मत प्रतीत नही होता है | क़ानूनी प्रावधानों के अनुसरण में प्रथमदृष्टया प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन व अपूर्तनीय क्षति के बिन्दुओ को विवेचित किया जाना अधीनस्थ न्यायालय के लिये आवश्यक था किन्तु ऐसा नही कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक त्रुटी किया जाता प्रकट होता है | ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश को निरस्त कर विधिक प्रावधानों का अनुसरण करते हुये पुन: आदेश पारित करने हेतु प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता उचित प्रतीत होता है | अत: उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 21/01/2025 निरस्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे बाद सुनवाई उभयपक्षकारान व्यवहार प्रक्रियां सहिता के आदेश 39 नियम 3 के प्रावधानों का अनुसरण करते हुये प्रथमदृष्टया प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन व राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	

राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	बिरधा बनाम कल्याण हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	201/2025	

अपूर्तनीय क्षति के बिन्दुओ का विवेचन करते हुये विधिसम्मत आदेश पुन: पारित करे | तदनुसार अपील स्वीकार की जाती है

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो |

निर्णय आज दिनांक 25/05/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया |

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर